

फर्द अहकाम

न्यायालय सुब खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला बनाम पत्नी देवी
 मुकदमा संख्या/वर्ष 68/2016 : 118/20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/11/21	<p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सच ने न्यायिक कार्य स्थगित रखी/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य चला रहे हैं। पत्रपत्रों को आदेशानुसार दि. - 11/3/21 को भेजा गया।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p> <p>1-3-21 <u>पत्नी देवी के पत्रों को, कहीं से उठाया गया उप. रहीं। बार-2 आबाद लगवाई गई। आबाद लगाने पर भी कोई उपजित नहीं। अतः दवा अफन जावरी, अफन पेखी ने खारी ली जावरी है। पत्नी देवी के पत्रों को उठाकर न्यायालय में भेजा गया।</u></p>